झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

सिविल विविध.याचिका. सं. 419 वर्ष 2021

1. धुरपति देवी उर्फ द्रोपदी देवी
2. मीला देवी उर्फ मिला देवी .....**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. योगेन्द्र भगत **उत्तरदाता/वादी**
2. राम अवध भगत
3. मीना देवी
4. राजेन्द्र भगत
5. सुरेन्द्र भगत
6. सतेन्द्र भगत
7. सरस्वती देवी
8. देवकी देवी
9. गजेन्द्र भगत
10. विनोद भगत
11. मंगलावती देवी
12. इन्द्रावती देवी
13. चितां देवी
14. उमेश भगत
15. अमरजीत भगत
16. शोवावती देवी
17. दुर्गावती देवी
18. रानी देवी
19. पार्वती देवी
20. प्रभा देवी
21. सविता देवी
22. राजपति देवी
23. वासमती देवी
24. राधा किशुन भगत
25. देवनाथ भगत
26. फूलमती देवी
27. देवमती देवी **----------उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण**

कोरम : मा. श्री न्यायमुर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

श्री जे.के. पसारी, अधिवक्ता

याचिकाकर्तागण के लिए : श्री जे.के. पसारी , अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए : श्री लुकेश कुमार , अधिवक्ता

श्री विभोर मयंक, अधिवक्ता

आदेश सं. 09 / दिनांक 9 फरवरी, 2024

1. वर्तमान याचिका को विद्वान सिविल जज, सीनियर डिवीजन-II धनबाद द्वारा मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 में पारित आदेश दिनांक 07-09-2021 का अभिखण्डन करने के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत याचिका दिनांक 18-02-2019 याचिकाकर्तागण [मूलवाद सं.56 वर्ष 2017 में प्रतिवादी सं. 10,11 तथा 13 अर्थात स्व. रामेश्वर भगत की तीनो बेटियो] द्वारा दाखिल किया गया था [यद्यपि मात्र प्रतिवादी सं. 10 तथा 11 ने वर्तमान याचिका अर्थात सिविल विविध याचिका सं. 419 वर्ष 2021 दाखिल किया है], जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत मूलवाद मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 के विचारण को छोड़ने के लिए किये गये अनुरोध को नामंजूर किया गया था।

2. यह वर्तमान याचिका में किये गये अनुरोध का उल्लेख करने के पहले, वाद के समुचित न्याय निर्णयन हेतु अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों के अनुसार कतिपय तथ्यात्मक पहलूओ को निर्दिष्ट करना उपयुक्त तथा उचित समझता है।

3. आरंभ में, वादीगण, अर्थात जोगेन्द्र भगत तथा राम अवध भगत ने सर्वे जानने वाले प्लीडर कमिश्नर के नियुक्ति के पश्चात अपने पक्ष में अनुसूची बी सम्पत्ति में 1/4 अंश के विभाजन हेतु तथा उक्त सम्पत्ति पर कब्जा हेतु अनुरोध करते हुए (1) लाली भगत (2) गजाधर भगत (3) विनोद भगत (4) काली चरण भगत के विरूद्ध एक विभाजन बाद हक विभाजन वाद सं. 150 वर्ष 1996 दाखिल किया था। फिर भी, चूकि वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सं. 1 -लाली भगत तथा प्रतिवादी सं. 04- कालीचरण भगत मर गया था इस प्रकार इन्हे 1(क) राजेन्द्र भगत 1(ख) सुरेन्द्र भगत; 1(ग) सत्येन्द्र भगत 1(घ) श्रीमती सरस्वती देवी, सभी स्व. लाली भगत की संताने तथा 4 (क) मीना देवी पुत्री स्व. कालीचरण भगत द्वारा प्रति-स्थापित किया गया था। इनके एक ही पूर्वज वेचू भगत के संदर्भ में वादीगण तथा प्रतिवादीगण के बीच संबंध को वाद पत्र के अनुसूची क में दिये गये वंशावील सारिणी में प्रदर्शित किया गया था।

4. वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज मूलतः जिला छपरा, तत्कालीन बिहार राज्य के है तथा विरासत के आधार पर कुछ पैतृक भू-सम्पत्ति प्राप्त किया था, जैसा वादपत्र के अनुसूची ख के आइटम सं. । में वर्णित है, जिसे वेचू भगत के नाम में दर्ज किया गया था। चूकि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज अनुसूची ख सम्पत्ति के आइटम । के आने वाले आय से अपने परिवार का भरणपोषण करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे, इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 (लाली भगत पुत्र वेचू भगत) सर्वप्रथम रोजी रोटी कमाने के लिए धनबाद आया था तथा भूमि

पर जैसा अनुसूची ख के आइटम सं. ॥ में वर्णित है, जो आरंभ में झाड़ी तथा पुटुस से भरा था, इस पर सब्जियाँ पैदा करते हुए अपने आजीविका हेतु खेती करना आरंभ किया था। लेकिन यह अभिकथित है कि कुछ समय के बाद, प्रोफार्मा प्रतिवादी सं. 4 (कालीचरण भगत पुत्र स्व. वेचू भगत) अर्थात प्रतिवादी सं.2 तथा 3 का पिता तथा वादी सं.1 (राम अवध भगत पुत्र स्व. वेचू भगत) भी धनबाद आया था तथा कठिन परिश्रम करने के बाद वादपत्र के अनुसूची ख के आइटम सं. ॥ में वर्णित सम्पूर्ण भूमि को कृषियोग्य बनाया था तथा सब्जियाँ इत्यादि पैदा करते हुए संयुक्त रूप से अधिकार में रखना आरंभ किया था तथा इसी में रह रहे थे। बाद में, राज्य ने उक्त भूमि पर दावा किया था, जैसा अनुसूची ख भूमि के आइटम सं.॥ में उल्लिखित है तथा पक्षकारो के संयुक्त कमाई से, प्रतिवादी सं. 1 के नाम में मा. उच्चतम न्यायालय तक मुकदमा लड़ा गया था।

5. आगे, वादी सं.1, प्रतिवादी स.1, प्रोफार्मा प्रतिवादी सं.4 तथा प्रतिवादी सं.2 तथा 3 के पिता के संयुक्त परिवार के आय से अर्थात अनुसूची ख सम्पत्ति के आइटम सं. । तथा ॥ से किये गये आय से इन लोगो ने विभिन्न पंजीकृत विलेखो द्वारा खेती की जमीन खरीदा था तथा इसके संयुक्त कब्जे में है। यह अभिकथित किया गया है कि आइटम सं.॥ पर उल्लिखित सम्पत्ति वादपत्र के अनुसूची ख के आइटम सं. ॥। में वर्णित है।

6. आगे, वादी सं. 1, प्रतिवादी सं.1, प्रोफार्मा प्रतिवादी सं.4 तथा प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता ने भी मौजा मदरपुर, जिला छपरा में अपने संयुक्त नाम में भूमि खरीदा था तथा इसपर पक्का आवासीय घर का निर्माण किया था, जो वादपत्र के अनुसूची ख के आइटम सं. 4 में उल्लिखित है।

7. प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता ने संयुक्त परिवार की आय से पंजीकृत विक्रय विलेखो द्वारा अपने स्वयं के नाम में धनबाद में भूमि तथा मकान भी खरीदा था तथा कुछ खेती की जमीन भी खरीदा गया था जो संयुक्त रूप से इनके अधिकार में था। लेकिन कुछ समय के बाद, पक्षकारो तथा पूर्वोक्त भूमि के अन्य सह-अंशधारियो के अन्य क्रेताओ के बीच कुछ विवाद पैदा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पुरूषोत्तम नाजी तथा अन्य के विरूद्ध हकवाद हकवाद सं. 31 वर्ष 1974 दाखिल किया गया था, जिसमें अंतिम डिक्री पारित किया गया था तथा भूमि के कुछ हिस्से की डिक्री इनके पक्ष में की गई थी, जो वादपत्र के अनुसूची ख के आइटम सं. 5 में उल्लिखित है।

8. उपरोक्त तथ्यो से, वादीगण ने कहा है जबकि अनुसूची ख का आइटम सं.1 पक्षकारो की पैतृक सम्पत्ति है जबकि अनुसूची ख का आइटम ॥ से v वादी सं.1, प्रतिवादी सं. 1 में प्रोफार्मा प्रतिवादी सं. 4 तथा प्रतिवादी सं.2 तथा 3 के पिता द्वारा इनके संयुक्त परिश्रम तथा संयुक्त परिवार के आय से अर्जित सम्पत्ति है। इस प्रकार वादीगण द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ जैसा अनुसूची ख में वर्णित है वाद के पक्षकारो की संयुक्त संपत्तियाँ है तथा प्रत्येक वादी ने संयुक्त परिवार के सम्पत्ति में 1/4 अंश प्राप्त किया है, जैसा वादपत्र के अनुसूची ख में वर्णित है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 01 ने संयुक्त पारिवारिक सम्पत्तियो में 1/4 अंश प्राप्त किया है तथा प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 ने 1/4 अंश प्राप्त किया है।

9. यह निवेदन किया है कि वर्ष 1992 में, प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 का पिता मर गया था तत्पश्चात संयुक्त परिवार के सदस्यो के बीच संबंध कटु हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप पक्षकारगण अलग रहना आरंभ किये थे लेकिन फिर भी ये लोग वादपत्र के अनुसूची ख में वर्णित संयुक्त संपत्तियो से संयुक्त आय से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। यह निवेदन किया गया है कि पक्षकारो के शुभेच्छुओ ने मैत्रीपूर्ण तरीके से सम्पत्तियो का विभाजन करने का कई प्रयास किया था जैसा अनुसूची ख में वर्णित है लेकिन असफल थे, अतः, वादीगण के पास संयुक्त परिवार की सम्पत्तियाँ वादपत्र के अनुसूची ख में वर्णित है के विभाजन हेतु वर्तमान वाद दाखिल करने के सिवा कोई अन्य विकल्प नही बचा।

10. प्रतिवादीगण को नोटिस तामील किये जाने के अनुसरण में वाद, हक(विभाजन) वाद सं. 150 वर्ष 1996 के दाखिल किये जाने के बाद ये लोग उपसंजात हुए थे तथा अपने अलग लिखित कथनो को दाखिल किया था।

11. प्रतिवादी सं.1 ने अपने लिखित कथन में कहा है कि वाद पोषणीय नही है तथा आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण दोषपूर्ण है क्योकि प्रतिवादी- रामेश्वर भगत की पत्नी तथा चार बेटियो को वाद का पक्षकार नही बनाया गया है। फिर भी इसने स्वीकार किया है कि तथ्य कि लाली भगत, जो परिवार में सबसे बड़ा था, सर्वप्रथम धनबाद आता है तथा झाड़ी की सफाई करने के पश्चात इसने कुछ जमीन को खेती योग्य बनाया एवं खेती करना आरंभ किया था तथा तत्पश्चात वाद का अन्य पक्षकार भी वहाँ आया तथा यह कि सम्पत्ति परिवार के संयुक्त कब्जे में है। इसने आगे कहा है कि प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता रामेश्वर भगत ने संयुक्त आय से संयुक्त रूप से सम्पत्तियाँ खरीदा था जैसा आइटम ॥ पर उल्लिखित है। इसने कहा है कि सभी एक साथ रहते है। इसने आगे कहा है कि इन लोगो ने संयुक्त रूप से आइटम । तथा ॥ पर

उल्लिखित सम्पत्तियो पर घर बनाया है। चूकि प्रतिवादी सं.1 बयोवृद्ध है अतः इसे प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है। इसने कहा है कि वर्तमान वाद दाखिल करने का वादीगण के लिए कोई कारण नही बनता था।

12. **प्रतिवादी सं.2** ने अपने लिखित कथन में कहा है कि वर्तमान वाद पोषणीय नही है। जहाँ तक आइटम सं. 1 पर उल्लिखित सम्पत्ति का संबंध है यह पक्षकारो की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें पहले ही विभाजन किया गया है। आगे पक्षकारो के बीच आइटम सं. II तथा V में उल्लिखित सम्पत्तियो पर हक तथा कब्जा नही है, क्योकि यह प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता रामेश्वर भगत द्वारा अर्जित संम्पत्ति है। इसने आगे कहा है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद दाखिल करने का कोई कारण नही बनता है क्योकि पक्षकारगण एक साथ नही रह रहे है बल्कि ये लोग अलग रह रहे है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अनुसूची ख के आइटम सं. 1 पर उल्लिखित सम्पत्तियो का विभाजन पहले ही पक्षकारो के बीच किया गया है इसलिए न्यायनिर्णयन की आवश्यकता नही है। इसने आगे कहा है कि प्रतिवादी सं.1 तथा 4 ने संयुक्त रूप से इस सम्पत्ति को अर्जित करने का दावा किया है लेकिन सम्पत्ति को प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता रामेश्वर भगत द्वारा खरीदी गई थी तथा स्वामित्वाधीन थी। संक्षेप में, इसने निवेदन किया है कि आइटम सं. I पैतृक सम्पत्ति है जिसका पहले ही विभाजन किया गया है तथा आइटम सं. II तथा V अलग सम्पत्ति है तथा वर्तमान वाद से कोई लेना देना नही है।

13. प्रतिवादी सं. 3 ने भी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर पोषणीयता के विवाद्यक को उठाया था क्योकि बेचू भगत के पुत्रीयो तथा अन्य पक्षकार के पुत्रीयो को पक्षकार नही बनाया गया है। इसने आगे कहा है कि प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता ने धनबाद में आइटम सं. II तथा V पर उल्लिखित सम्पत्ति अर्जित किया है जिसके पश्चात अन्य पक्षकार का कोई अधिकार, हक तथा कब्जा नही है, इसलिए इन सम्पत्तियो का विभाजन नही किया जा सकता है। आगे, आइटम सं. III में उल्लिखित सम्पत्ति को भी संयुक्त आय से खरीदा नही गया है बल्कि इसे निजी आय से खरीदा गया है।

14. विद्वान न्यायालय ने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद वाद के न्यायनिर्णयन हेतु निम्न विवाद्यको को विरचित किया है। त्वरित संदर्भ हेतु इसे दोहराया जा रहा है:

1. *क्या यह वाद अपने वर्तमान स्वरूप में पोषणीय है?*
2. *क्या वाद में पक्षकारो की विध्वंसकारी त्रुटि है, जिसके कारण यह वाद पोषणीय नही है?*

3. *क्या पक्षकारो के बीच धनबाद के जमीन के संबंध में स्वत्व की एकता तथा कब्जा है, जिसका विवरण वाद पत्र की अनुसूची बी के आइटम सं. II एवं V में दिया गया है?*
4. *क्या आइटम सं. I. III एवं IV (जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नही है) की जमीन का विभाजन विचारणीय है जबकि आइटम सं. II एवं V की सम्पत्ति प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता रामेश्वर भगत की अनन्य सम्पत्ति है?*
5. *क्या वादीगण किसी भी जमीन के विभाजन की डिक्री पाने के अधिकारी है?*
6. *क्या वादीगण कोई अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी है?*

15. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा पक्षकारो की ओर से पेश निवेदन के आधार पर विद्वान न्यायालय ने सर्वप्रथम न्यायनिर्णयन हेतु विवाद्यक सं.3 तथा 4 को लिया था जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या धनबाद में स्थित भूमि जिसका उल्लेख अनुसूची ख के आइटम सं. II एवं V पर किया गया है तथा आइटम सं. I. III तथा IV पर आगे सम्पत्ति जो इस न्यायलय के क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित नही है पर स्वत्व की एकता तथा कब्जा है या नही है तथा क्या ये सम्पत्तियाँ विभाजन योग्य है या नही तथा आइटम सं. II तथा V पर उल्लिखित आगे सम्पत्ति रामेश्वर भगत की अनन्य सम्पत्ति है या नही है।

16. पक्षकारो ने कहा है कि पक्षकारो के पूर्वज मूलतः जाल छपरा, बिहार के निवासी थे। इसलिए, आइटम सं. I पर सम्पत्ति इन्हें विरासत में मिली थी। पहली बार प्रतिवादी सं. धनबाद में रोजी रोटी को लिए आया था तथा आइटम सं. II पर उल्लिखित सम्पत्ति पर फुटुस तथा झाड़ी साफ करने के बाद जमीन पर खेती करना आरंभ किया था। कुछ समय के बाद, प्रोफार्मा प्रतिवादी सं.4 तथा प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 का पिता रामेश्वर भगत की धनवाद आया था तथा प्रतिवादी सं.1 ने सम्पत्ति पर कब्जा लिया था जैसा अनुसूची ख के आइटम सं. II में उल्लिखित है।

17. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आइटम सं. I. III तथा IV पर उल्लिखित सम्पत्ति पक्षकारो की संयुक्त सम्पत्ति है जिसे परिवार के संयुक्त आय द्वारा खरीदा गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्लाट सं. 4576 तथा 2439 के खाता सं. 157 पर स्थित भूमि का निपटारा झरिया किंग द्वारा स्व. लाली भगत (प्रतिवादी सं.1) के पक्ष में किया गया था तथा खाता सं. 51 के आगे के भूमि को लाली भगत द्वारा रामेश्वर भगत के नाम में खरीदा गया था, इसके वाद से रामेश्वर भगत का कभी कोई कब्जा नही है, लाली भगत तथा लाली भगत के पुत्रगण पूर्वोक्त भूमि को जोत बो रहे है।

18. विद्वान न्यायालय पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद तथा पक्षकारो की ओर से दाखिल दस्तावेजो के परिशीलन के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि पक्षकारोने भूमि जैसा आइटम सं. I, II, III, IV तथा V में उल्लिखित है के संबंध में पूरी पत्रावली पेश नही किया है तथा पूरे पत्रावली के अभाव में अनुसूची संपत्ति के विभाजन हेतु कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है।

19. अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वीक्त तथ्यो तथा अभिवचनो को आधार पर, विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया था कि धनबाद में स्थित सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति नही है जिसका उल्लेख अनुसूची बी के आइटम सं. II तथा V पर किया गया है। आगे आइटम सं. I. III तथा IV पर उल्लिखित सम्पत्तियाँ विभाजन हेतु उपयुक्त नही है। आगे, विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया था कि आइटम सं. II तथा V प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता अर्थात रामेश्वर भगत की अनन्य सम्पत्ति नही है। तदनुसार, सं. 3 तथा 4 का विनिश्चय वादीगण के विरूद्ध किया था।

20. जहाँ तक विवाद्यक सं. 1, 2, तथा 5 का संबंध है, यह अभिलेख पर आया है कि सर्वम्मति से प्रतिवादी सं. 1 के सभी तीनो बहनो को पक्षकार नही बनाया गया है तथा रामेश्वर भगत की पत्नी तथा इसके बेटियो को पक्षकार नही बनाया गया था, इसलिए वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन द्वारा वर्जित है। आगे इस तथ्य के दृष्टिगत कि आइटम सं. IV पर सम्पत्ति के खाता सं. का उल्लेख नही है तथा आगे चूकि न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि धनबाद में संयुक्त सम्पत्ति नही है। इसलिए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि विवाद्यक सं. 1, 2 तथा 3 का विनिश्चय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

21. तद्नुसार, आदेश दिनांक 03-09-2016 द्वारा वादीगण के विरूद्ध हक (विभाजन) वाद सं. 150 वर्ष 1996 को खारिज किया गया था।

22. तत्पश्चात हक (विभाजन) वाद सं. 150 वर्ष 1996 के वादी सं. 2 अर्थात योगेन्द्र भगत ने मुख्यतः इस आधार पर अनुसूची ए में वादीगण के 1/4 अंश के डिक्री हेतु एक दूसरा वाद मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 दाखिल किया था कि जैसा वादपत्र के पैरा 29 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं.1(मूल वाद सं. 56 वर्ष 2017 में) तथा वादी ने विभाजन हेतु वाद हक (विभाजन) वाद सं. 150 वर्ष 1996 दाखिल किया था लेकिन इसे सभी आवश्यक पक्षकार अर्थात बेचू भगत की बेटियो तथा /या इनके उत्तराधिकारीगण के पक्षकार न बनाये जाने तथा वादग्रस्त सम्पत्ति के अनुचित विवरण जिससे सीमा एवं सीमांकन द्वारा विभाजन न किया जा सके के तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था।

23. कुछ प्रतिवादीगण की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया है।

24. उक्त वाद में वाद के अपोषणीय होने के नाते जैसा अन्य आधारो के अलावा आदेश 2 नियम 2 के अधीन बाधित है विचारण को छोड़ने के लिए प्रतिवादी सं. 10,11 तथा 13 की ओर से याचिका दिनांक 18-02-2019 दाखिल किया गया था उक्त याचिका का प्रत्युत्तर वादी की ओर से दाखिल किया गया था।

25. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारो को सुनने के बाद प्रतिवादी सं. 10,11, तथा 13 की ओर से दाखिल याचिका दिनांक 18-02-2019 को खारिज किया था, जिसके विरूद्ध,वर्तमान याचिका को दाखिल किया गया है।

26. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.के.पसारी ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि लिखित कथन में इन लोगो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश ॥ नियम 2 के अधीन वर्जित है तथा प्राडन्याय द्वारा वर्जित है।

27. आगे यह निवेदन किया गया है कि नया हक विभाजन वाद दाखिल करने के लिए पूर्ववर्ती हक विभाजन वाद सं. 150 वर्ष 1996 में दिये गये किसी स्वतंत्रता के अभाव में मूल वाद सं. 56 वर्ष 2017 पोषणीय नही है।

28. आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद को खारिज करते हुए, पोषणीयता पर विवाद्यक अर्थात आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के विवाद्यक को विरचित करने के पश्चात सम्पत्ति जैसा अनुसूची बी सम्पत्ति में उल्लिखित है के संयुक्त होने के संबंध में भी विवाद्यक को विरचित किया है तथा इस वाद के वादीगण के विरूद्ध गुणावगुण एवं पोषणीयता पर सभी विवाद्यक का विनिश्चय किया है, इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि वाद को मात्र तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है बल्कि वाद को गुणावगुण पर भी खारिज किया गया है।

29. यह निवेदन किया गया है कि हक विभाजन वाद सं. 150 वर्ष 1996 का वादी यदि उक्त आदेश से पूर्णतया व्यथित है वह अपील दाखिल कर सकता था लेकिन ऐसा करने के बजाय इसने मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 दाखिल किया है, इसलिए, यह पोषणीय नही है तथा प्राडन्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित है क्योकि मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय न्यायालय द्वारा हक विभाजन वाद सं. 150 वर्ष 1996 में आदेश दिनांक 03-09-2016 द्वारा किया गया है।

30. लेकिन विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ता (प्रतिवादी सं. 10,11 तथा 13) के याचिका दिनांक 18-02-2019 को नामंजूर करते समय इन तथ्यो को ध्यान में नही रखा था तथा इस निषकर्ष पर आया था कि वाद [हक विभाजन वाद सं. 150 वर्ष 1996] को पक्षकारो के असंयोजन के विभाजन के वाद के लिए घातक त्रुटि होने के आधार पर खारिज किया गया था तथा इसकी विवेचना निर्णय के पैरा 9 में सविस्तार किया गया है। तदनुसार, याचिकाकर्तागण द्वारा दाखिल याचिका दिनांक 18-02-2019 को नामंजूर किया था, जो विधि में संधार्य नही है। इसलिए, विद्वान सिविल जज, सीनियर डिवीजन-॥, धनबाद द्वारा मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 में पारित आदेश दिनांक 07-09-2021 के अभिखंडन हेतु तथा मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 के विचारण को छोड़े जाने का अनुरोध किया गया है।

31. वर्तमान याचिका दाखिल करने के बाद, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर नोटिस विरोधी पक्षकार सं. 1 से 27 को मूल वाद सं. 56 वर्ष 2017 में उपसंजात होने वाले अपने अपने अधिवक्ता के जरिए तामील कराया गया था। इसके अनुसरण में, विरोधी पक्षकार सं.4 से 6 तथा 13 तथा 14 अधिवक्ता के जरिए उपस्थित हुए थे। जहाँ तक विरोधी पक्षकार सं. 1 तथा 8 से 17 का संबंध है, तामीला रिपोर्ट से प्रर्दशित होता है कि इसे वैध तरीके से तामील कराया गया है। विरोधी पक्षकार सं. 2,3,7 एवं 18 से 27 के सम्बन्ध में "एकपक्षीय अग्रसर हो" के साथ अवितरित नोटिस प्राप्त किया गया है। तत्पश्चात आदेश दिनांक 6-11-2013 द्वारा विरोधी पक्षकार सं. 2,3 एवं 18 से 27 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील कराये जाने का निदेश दिया गया था लेकिन व्यक्तिगत तामीला हेतु किसी माँग पत्र को नही दिया गया था।

32. इसलिए यह न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचन के आधार पर मामले की सुनवाई करने के लिए अग्रसर होता है।

33. विरोधी पक्षकार के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री लुकेश कुमार ने विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का बचाव करते हुए निवेदन किया है कि प्राडन्याय के तथा वाद के आदेश ॥ नियम 2 सि.प्र. सं. द्वारा बाधित होने के बारे में याचिकाकर्ता-प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया आधार पूर्णतया भ्रामक है तथा पोषणीय नही है एवं विधि या तथ्य में पोषणीय नही है।

34. विरोधी पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल याचिका दिनांक 18-02-2019 के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि इसे प्रावधानो

जैसा आदेश ॥ नियम 2 सि.प्र.सं. में अन्तर्विष्ट है के दृष्टिगत वाद के पोषणीयता की माँग करते हुए दाखिल किया गया है लेकिन अनुरोध से तथा अभिवचन से यह प्रतीत होता है कि याचिका को प्राङन्याय के आधार पर तथा आदेश ॥ नियम 2 सि.प्र.सं. के प्रावधानो के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। लेकिन यह सुस्थापित है कि दोनो प्रावधानो की व्याप्ति, सीमा तथा प्रयोजन भिन्न तथा अलग है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मूल वाद सं. 56 वर्ष 2017 में चार अलग अलग लिखित कथनो को दाखिल किया गया है लेकिन किसी भी लिखित कथनो में वर्तमान वाद के प्राङन्याय द्वारा या आदेश ॥ नियम 2 सि.प्र.सं. के अधीन वर्जित होने का अभिवाक् नही किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि लिखित कथन में अभिवाक् उठाया जाना चाहिए तथा इसके अभाव में इस आशय के अभिवचन के अभाव में विवाद्यक विरचित नही किया जा सकता है।

35. आगे यह निवेदन किया गया है कि प्राङन्याय तथा आदेश ॥ नियम 2 का अभिवाक् आरंभिक प्रक्रम पर वाद का खारिजा आवश्यक नही होता है बल्कि इस प्रकार के अभिवाक् के कारण तिथि तथा विधि के मिश्रित प्रश्नो पर विवाद्यको को विरचित किया जाता है।

36. निवेदन किया गया है कि विभाजन हेतु पूर्ववर्ती वाद को कभी वर्ष 1996 में दाखिल किया गया था लेकिन चूकि उक्त वाद को तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था इसलिए नया वाद हेतु विधि के सुस्थापित सिद्धांत के दृष्टिगत लगातार पैदा हो रहा था कि विभाजन के वाद हेतु वादहेतुक आवर्ती है अर्थात यह तब तक लगातार उद्भूत होगा जब तक सम्पत्तियो का विभाजन अंतिम रूप से नही कर दिया जाता है। प्राङन्याय का वर्जन केवल तब लागू होता है जब प्रत्यक्षतः तथा सारतः अन्तर्वलित विवाद्यको को सुना जाता है तथा अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाता है लेकिन यहाँ चूकि विभाजन हेतु वाद को तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था इस प्रकार प्राङ न्याय सिद्धांत लागू नही होगा। यह स्वीकृत तथ्य हैकि कुछ सह स्वामीयो को मुकदमे के पूर्ववर्ती चक्र में पक्षकार नही बनाया गया था इसलिए आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण वाद को दोषपूर्ण घोषित किया गया था।

37. इस न्यायालय ने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के वाद तथा अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनो का परिशीलन करने के पश्चात पाया है कि पहले वर्तमान वाद के वादीगण अर्थात योगेन्द्र भगत तथा राम अवध भगत पुत्र स्व. बेचू भगत ने अपने पक्ष में अनुसूची बी सम्पत्ति में 1/4 अंश के विभाजन हेतु तथा उक्त सम्पत्ति पर कब्जा हेतु अनुरोध करते हुए प्रतिवादीगण-(1) लाली भगत (2) गजाधर भगत (3) अवयस्क विनोद भगत तथा (4)

काली चरण भगत के विरूद्ध एक विभाजन वाद हक विभाजन वाद सं. 150 वर्ष 1996 दाखिल किया है।

38. वादपत्र में इन लोगो ने अभिवचन किया है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज मूलतः जिला छपरा तत्कालीन बिहार राज्य के थे तथा विरासत के आधार पर कुछ पैतृक भू सम्पत्ति अर्जित किया था, जैसा वादपत्र के अनुसूची बी के आइटम सं. 1 में वर्णित है, जिसे बेचू भगत के नाम में दर्ज किया गया था। चूकि वादीगण तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज अनुसूची बी सम्पत्ति के आइटम । के आय से परिवार का भरणपोषण करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे, इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 (लाली भगत पुत्र बेचु भगत) सर्वप्रथम रोजी रोटी कमाने के लिए धनबाद आया था तथा भूमि जैसा अनुसूची बी के आइटम ॥ में वर्णित है पर, जो आरंभ में झाड़ी तथा पुटुस से भरा था तथा इस पर सब्जियाँ उगाते हुए अपने आजीविका हेतु खेती करना आरंभ किया था। लेकिन यह अभिकथित है कि कुछ समय के बाद, प्रोफार्मा प्रतिवादी सं.4 (काली चरण भगत पुत्र स्व. बेचू भगत) अर्थात प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 का पिता एवं वादी सं.1 (राम अवध भगत पुत्र स्व. बेचू भगत) भी धनबाद आया था तथा कठिन मेहनत करने के बाद सम्पूर्ण भूमि को खेती योग्य बनाया था जैसा वादपत्र के अनुसूची बी के आइटम सं. ॥ में वर्णित है तथा सब्जियाँ इत्यादि उगाते हुए सुंयक्त रूप से अधिकार में रखना आरंभ किया था तथा इस पर रह रहे थे।

39. वादीगण ने कहा है कि अनुसूची बी का आइटम सं. 1 छपरा, बिहार में स्थित पक्षकारो की पैतृक सम्पत्ति है जबकि आइटम सं. ॥ एवं v अपने संयुक्त परिश्रम तथा संयुक्त परिवार के आय से वादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 1 प्रोफार्मा प्रतिवादी सं.4 तथा प्रतिवादी सं.2 तथा 3 के पिता द्वारा अर्जित सम्पत्ति है।

40. यह निवेदन किया गया है कि वर्ष 1992 में, प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 का पिता मर गया था तत्पश्चात संयुक्त परिवार के सदस्यो के बीच संबंध कटु हो गया था, यद्यपि पक्षकारो के शुभेच्छुओ ने सम्पत्तियो का विभाजन मैत्रीपूर्ण तरीके से करवाने के लिए कई प्रयास किया था जैसा अनुसूची बी में वर्णित है लेकिन असफल थे, अतः वादीगण ने संयुक्त परिवार की सम्पत्तियाँ जैसा वादपत्र के अनुसूची बी में वर्णित है के विभाजन हेतु वर्तमान वाद (मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017) दाखिल किया था।

41. प्रतिवादीगण को नोटिस तामील कराये जाने के अनुसरण में वाद के दाखिल किये जाने के बाद, ये लोग उपस्थित हुए थे तथा अपने पृथक लिखित कथनो को दाखिल किया था।

42. विद्वान न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचन का परिशीलन करने के वाद विवाद्यको को विरचित किया था जैसा ऊपर पैरा में उत्कथित तथा निर्दिष्ट है तथा पक्षकारो को सुनने के बाद वादीगण के विरूद्ध सभी विवाद्यको का उत्तर दिया था एवं इस निष्कर्ष पर आया था कि पक्षकारो ने भूमि के संबंध में पूरी पत्रावली को पेश नही किया है जैसा आइटम सं. I. ,II, III तथा IV, तथा V में उल्लिखित है तथा पूरे पत्रावली के अभाव में अनुसूची सम्पत्ति के विभाजन हेतु कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है।

43. अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त तथ्यो तथा अभिवचनो के आधार पर, विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया था कि धनबाद में संयुक्त सम्पत्ति स्थित नही है, जिसका उल्लेख अनुसूची बी के आइटम सं. II तथा IV पर किया गया है। आगे आइटम सं.I, III तथा IV पर उल्लिखित सम्पत्तियाँ विभाजन हेतु उपयुक्त नही है।

44. आगे, विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया था कि आइटम सं. II तथा IV प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता अर्थात रामेश्वर भगत की अनन्य सम्पत्ति नही है।तद्नुसार विवाद्यक सं. 3 तथा 4 का विनिश्चय वादीगण के विरूद्ध किया था। जहाँ तक विवाद्यक सं. 1, 2, तथा 5 का संबंध है, यह अभिलेख पर आया है कि सर्वसम्मति से प्रतिवादी सं. 1 के सभी तीनो बहनो को पक्षकार नही बनाया गया है तथा रामेश्वर भगत की पत्नी तथा इसके बेटीयो को पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिए वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन द्वारा वर्जित है। आगे, इस तथ्य के दृष्टिगत कि आइटम सं. IV पर सम्पत्ति के खाता सं. का उल्लेख नही है तथा आगे न्यायालय चूकि इस निष्कर्ष पर आया है कि धनबाद में संयुक्त सम्पत्ति नही है।

45. इसलिए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि विवाद्यक सं. 1,2 तथा 5 का विनिश्चित वादीगण के विरूद्ध किया गया है। तद्नुसार वाद को आदेश दिनांक 03-09-2016 द्वारा खारिज किया गया था।

46. तत्पश्चात, हक (विभाजन) वाद सं. 150 वर्ष 1996 के वादी सं. 2 अर्थात योगेन्द्र भगत ने सम्पत्तियाँ जैसा वादपत्र के अनुसूची ए में वर्णित है इन लोगो ने वादीगण के 1/4 अंश के प्रारंभिक डिक्री हेतु अनुरोध करते हुए एक दूसरा वाद मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 दाखिल किया था।

47. वाद में, प्रतिवादीगण को नोटिस भेजा गया था इसके अनुसरण में ये लोग उपस्थित हुए थे तथा प्रतिवादी सं. 10, 11 तथा 13 ने लिखित कथन दाखिल किया था।

48. मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 में, प्रतिवादी सं. 10,11, तथा 13 ने अन्य आधारो के अलावा वर्तमान वाद के विचारण के आदेश ॥ नियम 2 सि.प्र. सं. के अधीन बाधित होने के नाते अपोषणीय होने के कारण छोड़े जाने का अनुरोध करते हुए 18-02-2019 को याचिका दाखिल किया था। विद्वान अवर न्यायालय ने पक्षकारो को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया था, अतः वर्तमान याचिका प्रस्तुत है।

49. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यह अवधारित करने के लिए कि क्या वाद प्राङ न्याय द्वारा वर्जित है यह आवश्यक है कि पश्चातवर्ती वाद में विवाद्यक प्रत्यक्षतः तथा सारतः पहले के वाद में विवाध थे तथा पूर्ववर्ती वाद एक ही पक्षकारो के बीच था।

50. इसमें सर्वसम्मति से, यह मामला नही है कि वादीगण ने मूलवाद में पहले के विभाजन वाद के दाखिल किये जाने के बारे में तथ्य को छिपाने का प्रयास किया है। आगे, इसमें स्वीकृत तथ्य यह है कि मूलवाद दाखिल करने, के बाद प्रतिवादी को नोटिस जारी की गई थी, इसके अनुसरण में ये लोग उपस्थित हुए थे तथा लिखित कथन दाखिल किया था। तत्पश्चात, प्रतिवादी सं. 10,11 तथा 13 द्वारा याचिका दिनांक 18-02-2019 दाखिल किया गया है, जिसमें आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता का अवलंब लेते हुए चुनौती दिया गया है।

51. इसलिए यह न्यायालय उस शक्ति पर विचार करना उपयुक्त तथा उचित समझता है जिसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन किया जाना चाहिए।

52. विधि सुस्थापित है कि शक्ति जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए मात्र हस्तक्षेप करना है यदि अभिलेख को देखते ही स्पष्ट त्रुटि है।

53. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन बैठते हुए उच्च न्यायालय को सीमित अधिकारिता प्राप्त है जैसा अनुच्छेद 227 जो उच्च न्यायालयो के पर्यवेक्षणीय शक्तियो से संबंधित है के व्याप्ति के संबंध में इसमें धारित करते हुए (2010) 8 एससीसी 329 में संप्रकाशित शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेन्द्र शंकर पट्टी के मामले में दिये गये मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है तथा एआईआर 1951 कलकत्ता 193 में संप्रकाशित डालमिया जैन एयरवेज लि. बनाम सुकुमार मुखर्जी के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मा.पूर्ण पीठ द्वारा दिये गये निर्णय से सहायता लेते हुए यह अधिकथित किया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय में असीमित शक्ति निहित नही करता है

जिसका प्रयोग विशेष निर्णयो के कठिनाई को दूर करने के लिए न्यायालय के विवेकाधिकार पर किया जा सकता है। अधीक्षण की शक्ति ज्ञात तथा सुमान्य चरित्र की शक्ति प्रदान करता है तथा इसका प्रयोग उन न्यायिक सिद्धांतो पर किया जाना चाहिए जो इसे इसके चरित्र में देता है। सामान्य शब्दो में, अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति अधीनस्थ न्यायालयो को प्राधिकार के सीमाओ में रखने की शक्ति है, यह देखना कि ये वही करते है जो इनके कर्तव्य के लिए आवश्यक होता है तथा यह कि ये इसे विधिक तरीके से करते है।

(i) अधीक्षण के शक्ति का प्रयोग तब तक नही किया जाना चाहिए जब तक;

(क) अधिकारिता जो न्यायालय या अधिकरण में चिहित न हो की अनपेक्षित कल्पना न की गई हो या

(ख) अधिकारिता का सम्पूर्ण दुरूपयोग न हो या

(ग) न्यायालयो या अधिकरणो में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अन्यायानुमोद्य नामंजूरी न हो

(ii) आगे, पूर्वीक्त निर्णय में मा. शीर्ष न्यायालय ने (1991) 3 एससीसी 141 में संप्रकाशित मनी नरीमन दारू वाला बनाम फिरोज एवं भटेना के मामले में दिये गये निर्णय की सहायता लिया है जिसमें यह अधिकथित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय केवल उन्ही मामलो में अवर न्यायालय या अधिकरण के निष्कर्ष को अपास्त या उलट सकता है जहाँ साक्ष्य नही होता है या जहाँ कोई विवेकवान व्यक्ति संभवतः इस निष्कर्ष पर नही आ सकता है जिस पर न्यायालय या अधिकरण आया है।

(iii) मा. शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस सीमित विस्तार के सिवा उच्च न्यायालय के पास तथ्यो के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नही है। IV. आगे, (1995) 6 एससीसी 576 में संप्रकाशित लक्ष्मीकांत रेव चंद भोजवानी बनाम प्रताप सिंह मोहन सिंह परदेसी के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में यह अधिकथित किया गया है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के अधीन सभी प्रकार के कठिनाई या गलत निर्णयो को सही करने के लिए असीमित विशेषधिकार को ग्रहण नही कर सकता है। इसके प्रयोग को गंभीर कर्तव्य त्याग तथा विधि एवं न्याय के मौलिख सिद्धांतो के घोर उल्लंघन तक सीमित होना चाहिए। V. पूर्वीक्त निर्णय के पैरा 47 में यह अधिकथित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता आरंभिक नही है न ही यह अपीलीय है। अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण की यह अधिकारिता प्रशासनिक तथा न्यायिक अधीक्षण दोनो के लिए है। इसलिए,

अनुच्छेद 226 तथा 227 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ पृथक तथा अलग है तथा विभिन्न क्षेत्रो में लागू होती है। इन दोनो अधिकारिताओ के बीच एक दूसरा अंतर यह है कि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय सामान्यतः आदेश या कार्यवाहियो को रद्द या अभिखंडित करता है लेकिन अनुच्छेद 227 के अधीन अपने अधिकारिता के प्रयोग में, उच्च न्यायालय कार्यवाही को निराकृत करनेके अलावा उस आदेश द्वारा आक्षेपित देश को प्रतिस्थापित कर सकता है जिसे अवर अधिकरण द्वारा करना चाहिए था V। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किये जाने वाले शक्तियो के संबंध में आगे अधिकथित किया गया है। उच्च न्यायालय अधीक्षण के अपने अधिकारिता के प्रयोग में यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राधिकार के सीमाओ में अपने अधीनस्थ अधिकरणो तथा न्यायालयो को रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है कि विधि का पालन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के अधिकरणो तथा न्यायालयो द्वारा किया जाय जो इनमें निहित है तथा उस अधिकारो का प्रयोग करने से इंकार न करते हुए जो इसमें निहित है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय अधीक्षण के अपने शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप कर सकता है जब इसके अधीनस्थ अधिकरणो तथा न्यायालयो के आदेशो में स्पष्ट अनुचितता की गई है या जहाँ न्याय सम्पूर्ण रूप से तथा स्पष्टतया विफल हुआ है या नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो का उल्लंघन किया गया है। VII. अधीक्षण के अपने शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय विधि या तथ्य के मात्र त्रुटियो को सही करने के लिए हस्तक्षेप नही कर सकता है या इसलिए भी हस्तक्षेप नही कर सकता है क्योकि इसके अधीनस्थ अधिकरणो या न्यायालयो द्वारा लिये गये विचार के अतिरिक्त एक दूसरा विचार संभव विचार है। दूसरे शब्द में अधिकारिता का प्रयोग काफी कम किया जाना चाहिए।

54. हाल में, मा. शीर्ष न्यायालय ने मेसर्स गार्मेन्ट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चन्द्र गोयल (2022) 4 एससीसी 181 के मामले में, यह धारित किया है कि अनुच्छेद 227 के अधीन शक्ति का प्रयोग कम तथा समुचित मामलो में किया जाता है, जैसे जब न्याय संगत ठहराने के लिए साक्ष्य नही होता है या निष्कर्ष इतना अनुचित होता है कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति संभवतः इस प्रकार के निष्कर्ष पर नही आ सकता है जिस पर न्यायालय या अधिकरण आया है। यह स्वयंसिद्ध है कि इस प्रकार के वैवेकिक अनुतोष का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए जिससे घोर अन्याय न हो। त्वरित संदर्भ हेतु निर्णय का सुसंगत पैरा 15 से 17 निम्नवत पठित है:

*"**15**. पक्षकारो के अधिवक्तागण को सुनने के बाद, मेरी स्पष्ट रूप से राय है कि आक्षेपित आदेश [प्रकाश चन्द्र गोयल बनाम गारमेन्ट क्राफ्ट 2019 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली " 943] विधि विरूद्ध है तथा कई कारणो प्रमुख रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त सीमित अधिकारिता से विचलन के कारण कायम नही रह सकता है। पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय साक्ष्य या तथ्य जिस पर चुनौती दिया गया अवधारण आधारित है का पुर्नमूल्यांकन, पुर्नविचार करने के लिए प्रथम अपील के न्यायालय के रूप में कार्य नही करता है। पर्यवेक्षणीय अधिकारिता प्रत्येक तथ्य के त्रुटि या विधिक दोष को भी ठीक नही करता है जब अंतिम निष्कर्ष न्यायसंगत होता है या समर्थन किया जा सकता है। उच्च न्यायालय अवर न्यायालय तथा अधिकरण के तथ्यो तथा निष्कर्ष पर अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नही करता है [सेलिना सेलहो परेरा बनाम उल्हास महाबालेश्वर खोलकर (2010) 1 एससीसी 217:(2010) 1 एससीसी (सिव) 69] प्रयोग की गई अधिकारिता गंभीर कर्तव्य त्याग या विधि अथवा न्याय के मौलिक सिद्धांतो के घोर दुरूपयोग, उल्लंघन को ठीक करने के प्रकृति में नही होता है। अनुच्छेद 227 के अधीन शक्ति का प्रयोग समुचित मामले में कम किया जाता है, जैसे जब न्याय संगत ठहराने के लिए पूर्णतया साक्ष्य नही होता है या निष्कर्ष इतना अनुचित होता है कि कोई समझदार व्यक्ति संभवतः इस प्रकार के निष्कर्ष पर नही आ सकता है जैसा न्यायालय या अधिकरण आया है । यह स्वयं सिद्ध है जिससे इस प्रकार का वैवेकिक अनुतोष का प्रयोग यह सुनिशिचत करने के लिए किया जाना चाहिए कि घोर अन्याय न हो।*

16. *अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता के व्याप्ति को स्पष्ट करते हुए इस न्यायालय में एस्ट्रेला रबर बनाम दास एस्ट्रेट (प्रा.) लि. [एस्ट्रेला रवर बनाम दास एस्टेट (प्रा.) लि. (2001) 8 एससीसी 97] में संक्षेपित किया है: (एससीसी पे. 101-102,पैरा 6)*

"6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति तथा अधिकारिता के प्रयोग के व्याप्ति तथा सीमा को इस न्यायालय के कोई निर्णयो में जाँच किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है। इस अनुच्छेद के

अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग में अवर न्यायालयो तथा अधिकरणो को अपने प्राधिकार के सीमाओ में रखने तथा यह देखने के लिए उच्च न्यायलय का कर्तव्य अन्तर्वलित है कि ये विधिक तरीके से स्वयं के लिए अपेक्षित या आवश्यक कर्तव्य करे। उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयो या अधिकरणो के अधिकारिता के सीमाओ में किये गये सभी प्रकार के कठिनाई या गलत निर्णयो को सुधारने के लिए कोई असीमित विशेषाधिकार निहित नही होता है। इस शक्ति का प्रयोग तथा न्यायालयो या अधिकरणो को आदेशो में हस्तक्षेप गंभीर कर्तव्य त्याग तथा विधि या न्याय के मौलिक सिद्धांतो के घोर उल्लंघन के मामलो तक सीमित होता है, जहाँ यदि उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नही करता है, गंभीर अन्याय अदण्डित रह जाता है। यह भी सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के अधीन कार्यवाही करते हुए अपीलीय न्यायालय के रूप में अपने शक्ति का प्रयोग नही कर सकता है या त्रुटि जो अभिलेखो को देखते ही स्पष्ट नही है को ठीक करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के स्थान पर अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नही कर सकता है। उच्च न्यायालय अवर न्यायालय या अधिकरण के तथ्यो के निष्कर्ष को अपास्त कर सकता है या अनदेखी कर सकता है, यदि न्याय संगत ठहराने के लिए पूर्णतया कोई साक्ष्य नही है या निष्कर्ष इतना अनुचित है कि कोई समझदार व्यक्ति संभवतः इस प्रकार के निष्कर्ष पर नही आ सकता है जिस पर न्यायालय या अधिकरण आया है।"

17. *तथ्य कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था से प्रदर्शित होता है कि अपीलार्थी का अधिवक्ता यह जानता था कि प्रतिरक्षा साक्ष्य देने के विफलता के कारण एकपक्षीय डिक्री पारित किया गया था। फिर भी यह विचारण न्यायालय द्वारा बनाये गये राय को प्रतिस्थापित करने तथा अपास्त करने के लिए उचित आधार तथा कारण नही होगा कि अपीलार्थी कैद में होने के नाते साक्ष्य देने में असमर्थता तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य देने के लिए अपीलार्थी को एक दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए। अनुतोष देने में विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार अभिलेख को देखते ही स्पष्ट त्रुटि से ग्रसित नही था या निष्कर्ष इतना अनुचित नही था कि यह न्याय संगत ठहराने के लिए साक्ष्य द्वारा असर्मिथत था। यह तर्क देने के लिए उत्तरदाता के पास कुछ औचित्य हो सकता है कि अपीलार्थी संभवतः एकपक्षीय*

डिक्री के बारे में जानता था तथा इसलिए निवेदन कि अपीलार्थी को एकपक्षीय डिक्री की जानकारी मात्र 6-5-2017 को जेल से छुटने के बाद हुई थी गलत है, लेकिन यह अपीलार्थी के तथ्यात्मक रूप से सही स्पष्टीकरण को प्रभावित नही करेगा कि वह कैद में था तथा 6-10-2015 से 6-5-2017 तक सिविल वाद कार्यवाहियो में भाग नही ले सका था। यदि वह महसूस किया गया था कि एकपक्षीय डिक्री आपस्त करने के लिए आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया था, न्यायालय विलम्ब के माफी हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए अपीलार्थी को अवसर दे सकता था तथा खर्च अधिरोपित किया जा सकता था। तथ्य जैसा ज्ञात है समान रूप से विलम्ब के माफी हेतु आधारो के रूप में लागू हो सकता है। साकल्यपूर्ण तथा सम्पूर्ण विचार लेना हमेशा महत्वपूर्ण होता है न कि उन पहलूओ से प्रभावित होना जिसे स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार, सुसंगत तथ्यो के बारे में विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात विचारण न्यायालय के सकारण निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप आवश्यक नही था।

55. यह न्यायालय अब तथ्य पर आधारित आक्षेपित आदेश के वैधता तथा औचित्य की जाँच करने के लिए अग्रसर हो रहा है कि क्या आक्षेपित आदेश कथित तौर पर इससे देखते ही स्पष्ट किसी त्रुटि से ग्रसित है।

56. पूर्वोक्त विचार की जाँच तथ्यात्मक पहलू के आधार पर किया जाना आवश्यक है, जैसा एतस्मिन उपरोक्त विवेचना किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि मूलवाद के विचारण को पूर्णतया छोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है।

57. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निर्दिष्ट करते हुए आदेश दिनांक 7-9-2021 द्वारा उक्त याचिका को नामंजूर करते हुए आदेश पारित किया है कि सभी विवाद्यक जिसे उठाया गया है पर विचार मात्र विचारण के आरंभ के बाद अर्थात विवाद्यको को विरचित करते हुए तथा पक्षकारो की ओर से इन विवाद्यको पर साक्ष्य देते हुए किया जाना आवश्यक है।

58. त्वरित संदर्भ हेतु मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 में पारित आदेश दिनांक 07-9-2021 (आक्षेपित आदेश) के अंतिम पैरा को निम्नवत प्रोद्रधृत किया जाता है:

"यह कि वादपत्र का सीसी तथा हक (विभाजन) वाद सं. 150/96 में पारित निर्णय दिनांक 03-9-2016 प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल किया गया था। आगे हक (विभाजन) वाद सं. 150/96 के निर्णय दिनांक 03-9-2016 के परिशीलन के बाद यह

स्पष्ट है कि वाद को विभाजन के बाद में घातक त्रुटि होने के नाते पक्षकारो के असंयोजन के आधार पर खारिज किया गया था तथा इसकी विवेचना निर्णय के पैरा 9 में सविस्तार किया गया है। ***विचारण के इस प्रक्रम पर प्रतिवादी द्वारा उठाये गये प्राडन्याय के अभिवाक का विनिश्चत दोनो पक्षकारो द्वारा साक्ष्य देने के पश्चात किया जा सकता है क्योकि हक (विभाजन) वाद सं.150/96 में अन्तर्वलित विवाद्यको का विनिश्चित गुणावगुण पर किया गया था या नही का न्याय निर्णयन दोनो पक्षकारो द्वारा साक्ष्य दिये जाने के पश्चात किया जा सकता है। प्राङ न्याय के संबंध में विवाद्यक का विनिश्चय विचारण के इस प्रक्रम पर नही किया जा सकता है।*** *अतः प्रतिवादी के याचिका दिनांक 18-02-2019 को नामंजूर किया जाता है। विवाद्यको के निपटारे पर सुनवाई हेतु 30-09-2021 को पेश किया जाय। दोनो पक्षकारो को प्रस्तावित विवाद्यको को दाखिल करने का निदेश दिया जाता है।*

59. विद्वान आरंभिक न्यायालय द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष के दृष्टिगत, इसमें मूलभूत प्रश्न यह है कि इस प्रक्रम पर क्या आदेश-II नियम 2 की सहायता लेते हुए विचारण छोड़ने के लिए कथित तौर पर याचिकाकर्तागण द्वारा दाखिल याचिका याचिकाकर्ता का उचित दृष्टिकोण था। पूर्वोक्त विचार हेतु आदेश-II नियम 2 के प्रावधान को इसमें निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत पठित है:

2. वाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण दावा होना-

(2) दावे के भाग का त्याग-जहाँ वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है वहाँ उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद नही लाएगा।

60. आदेश-II नियम 2 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट वर्जन आकृष्ट होता है जिससे वादी को वाद दाखिल करने की अनुमति न दी जा सके। आदेश-II नियम 2 सि.प्र.सं. के प्रावधान पर विचार ***गुरबक्श सिंह बनाम भूरा लाल एआईआर 1964 एससी 1810*** के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा किया गया है जिसमें मा.शीर्ष न्यायालय ने आदेश-II नियम 2 सि.प्र.सं. के असली अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए उन मानको को अधिकथित किया है कि कैसे तथा किन परिस्थितियो में आदेश-II नियम 2 के प्रयोग का अवलंब किया जाना चाहिए।

61. निर्णय के पैरा 6 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2(3) के अधीन वर्जन का अभिवाक् प्रतिवादी के बाद आना चाहिए जो अभिवाक्

उठाता है को प्रस्तुत करना चाहिए (1) यह कि दूसरा वाद एक ही वाद हेतु के संबंध में है जिस पर पहले का वाद आधारित था (2) यह कि इस वादहेतुक के संबंध में वादी एक से अधिक अनुतोष का हकदार था (3) यह कि इस प्रकार एक से अधिक अनुतोष हकदार होने के नाते वादी न्यायालय से अनुमति प्राप्त किये बिना अनुतोष हेतु वाद लाने का लोप किया था जिसके लिए दूसरा वाद दाखिल किया गया था।

62. इस विश्लेषण से यह देखा जाता है कि प्रतिवादी को प्रमुख रूप से तथा आरंभ में संक्षिप्त वादहेतुक साबित करना होगा जिस पर पूर्ववाद दाखिल किया गया था, क्योकि जब तक वाद हेतुक के बीच अभिन्नता नही होती है जिस पर पूर्ववर्ती वाद दाखिल किया गया था तथा यह कि जिस पर परवर्ती वाद में दावा आधारित है वर्जन के प्रयोग की कोई गुंजाइश नही होगी।

63. विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत का अनुसरण लगातार मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में भी ***विरगो इण्डस्ट्रीज (इंजीनियरिंग) प्रा. लि. बनाम बेंतुरेटेक साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड [(2013) 1 एससीसी 625]*** के मामले में किया गया है, जिसमें विधि के सिद्धांत को दोहराया गया है कि इसलिए आदेश-II नियम 2(2) तथा (3) में अन्तर्विष्ट प्रावधानो के प्रयोग हेतु प्रमुख शर्त यह है कि परवर्ती वाद में वाद हेतु वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले वाद में है।

64. उक्त अभिव्यक्ति अर्थात वादहेतुक विशेष रूप से ***चर्च आफ क्राइस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट एण्ड एजूकेशनल चेरिटबुल सोसायटी बनाम पोन्नामन एजुकेशनल ट्रस्ट (2012) 8 एससीसी 706]*** में इस न्यायालय के हाल के निर्णय में स्पष्ट प्रतिपादना के दृष्टिगत सही अर्थ किसी प्रवचन में प्रवेश करना पूर्णतया अनावश्यक होगा। उपलब्ध न्यायिक निर्णयो सहित विवाद्यक पर दिये गये बड़ी संख्या में विचार मौलिक रूप से कम नही करता है जो हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैण्ड (चौथा संस्करण) में कहा गया है। इसलिए उपरोक्त निर्णय से निम्न संदर्भ एतस्मिननिम्न उद्धृत किये जाने हेतु उपयुक्त होगा।

> *"वादहेतुक को सिर्फ अस्तिवत्वमान तथ्यात्मक स्थिति के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय से उपचार प्राप्त करने का हकदार होता है। वाक्यांश को प्राचीन काल से अभिनिर्धारित किया गया है जिसके प्रत्येक तथ्य शामिल है जो सफल होने के लिए वादी को हकदार बनाने हेतु साबित किये जाने के लिए तात्विक है तथा प्रत्येक तथ्य जिसका खण्डन करने का अधिकार प्रतिवादी के पास होगा। वादहेतुक का यह अर्थ भी स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से विशेष कार्यवाही जो वादी को शिकायत या कार्यवाही को आधारित*

करने वाले शिकायत के विषय वस्तु के बारे में अपना हेतुक देता है, न कि मात्र तकनीकी वाद हेतु"

65. पूर्वोक्त निर्णय पर विचार मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा ***रथनवती तथा एक अन्य बनाम कविता गण रामदास (2015) 5 एससीसी 223]*** के मामले में किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा ग्रहण किये जाने वाले मानदण्डो हेतु सुसंगत पैरा पैरा 26 तथा 27 पर है, जो निम्नवत पठित है:-

"26. आदेश-II नियम 2 का सफलतापूर्वक अवलंब लेने के लिए मूलभूत शर्तो में एक शर्त यह है कि दूसरे वाद के प्रतिवादी को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि दूसरा वाद भी एक ही वादहेतुक के संबंध में है जिस पर पूर्व वाद आधारित था। जैसा ऊपर उल्लिखित है, चूकि वर्तमान मामले में, वादहेतुक के संबंध में यह मूलभूत शर्त नही बनता है, प्रतिवादीगण (इसमें अपीलार्थीगण) प्रतिवादीगण के विरूद्ध समझौते के निर्दिष्ट पालन हेतु वादी को इसके वाद को अग्रसर करने से सफलतापूर्वक वादावसान करने के लिए आदेश-II नियम 2 सि.प्र.सं. में अन्तर्विष्ट वर्जन के अभिवाक को उठाने का हकदार नही है।

27. वास्तव में जब अपने अपने अनुतोषो का दावा करने के लिए वादहेतुक तथा अनुतोषो का दावा करने हेतु संघटक भी भिन्न होता है, हम यह समझने में असफल है कि कैसे आदेश-II नियम 2 सि.प्र.स. के अभिवाक को प्रतिवादीगण द्वारा उठाये जाने की अनुमति दी जा सकती है तथा कैसे यह इस प्रकार के तथ्यो पर संधार्य है।

66. इसमें प्रतिवादी ने आदेश-II नियम 2 सि.प्र.सं. का अवलंब लेते हुए न्यायालय के अधिकारिता का आश्रय लेते हुए याचिका दाखिल किया है जब कि आदेश-II नियम 2 सि.प्र.सं. का सफलता पूर्वक अवलंब लेने हेतु एक मूलभूत शर्त यह है कि वाद के प्रतिवादी को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि दूसरा वाद एक ही वाद हेतुक के संबंध में है जिसपर पूर्व वाद आधारित था।

67. आक्षेपित आदेश दिनांक 07-09-2021 तथा हक (विभाजन) वाद सं.150 वर्ष 1996 के वाद पत्र तथा इसके अनुसूची सहित मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है:-

I. आरंभ में हक विभाजन वाद सं. 150 वर्ष 1996 भूमि के विभाजन हेतु दाखिल किया गया था जिसमें, विद्वान न्यायालय पक्षकारो को सुनने के बाद इस निष्कर्ष

पर आया है कि पक्षकारो ने भूमि के संबंध में पूरी पत्रावली पेश नही किया है जैसा आइटम सं. I,II, III IV तथा V में उल्लिखित है तथा पूर्ण पत्रावली के अभाव में अनुसूची सम्पत्ति के विभाजन हेतु कोई आदेश पारित नही किया जा सकता है।

II. आगे, विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि धनबाद में संयुक्त सम्पत्ति नही है जिसका उल्लेख अनुसूची बी के आइटम सं. II तथा V में किया गया है तथा आइटम सं. I. III एवं IV पर उल्लिखित सम्पत्तियाँ विभाजन हेतु उपयुक्त नही है। आगे विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया था कि आइटम सं. II तथा IV प्रतिवादी सं. 2 तथा 3 के पिता अर्थात रामेश्वर भगत की अनन्य सम्पत्ति नही है। तद्नुसार, विवाद्यक सं. 3 तथा 4 का विनिश्चिय वादीगण के विरूदध किया गया था।

III. जहाँ तक, विवाद्यक सं. 1,2 तथा 5 का संबंध है, यह अभिलेख पर आया है कि सर्व सम्मति से प्रतिवादी सं. 1 के सभी तीनो बहनो को पक्षकार नही बनाया गया है तथा रामेश्वर भगत की पत्नी तथा इसके बेटियो को भी पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिए वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन द्वारा वर्जित है। आइटम सं. IV पर उल्लिखित सम्पत्ति का खाता नं नही है। इसलिए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि विवाद्यक सं. 1,2 तथा 5 का विनिश्चय वादीगण के विरूद्ध किया गया है। तद्नुसार विवाद्यको का विनिश्चय वादीगण के विरूद्ध किया गया था।

IV. वर्तमान मामले में अर्थात मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 में पक्षकारगण उपस्थित हुए है तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है तथा लिखित कथनो को दाखिल किया है लेकिन निश्चित रूप से न तो विवाद्यको को विरचित किया गया है न ही पक्षकारो द्वारा साक्ष्य पेश किया गया है इसलिए इस प्रक्रम पर वाद के प्राङ न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित होने के बारे में निष्कर्ष पर आना उपयुक्त होगा।

V. इसलिए, क्या हक(विभाजन) वाद सं. 150 वर्ष 1996 में अन्तर्वलित विवाद्यको का विनिश्चय गुणावगुण पर किया गया था या नही का न्यायनिर्णयन दोनो पक्षकारो द्वारा साक्ष्यो को पेश करने के बाद किया जा सकता है।

VI. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राङ न्याय के संबंध में विवाद्यको का विनिश्चय इस विवाद्यक पर विवाद्यको के विरचित किये जाने तथा पूर्वोक्त विवाद्यक पर पक्षकार द्वारा साक्ष्य देने के बाद किया जा सकता है।

68. अब विद्वान आरंभिक न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर आते है ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायालय ने तथ्यो जैसा एतस्मिन उपरोक्त निर्दिष्ट है को ध्यान में रखते हुए आदेश II नियम 2 सि.प्र.सं. के अधीन दाखिल याचिका को नामंजूर किया है जिसे प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है।

69. चूकि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है इसे ***गार्मेन्ट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चन्द्र गौयल*** (ऊपर) के मामले में तथा विवाद्यक पर अन्य मामलो में, जैसा ऊपर निर्दिष्ट है मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसार काफी सीमित अधिकारिता प्राप्त है तथा एतस्मिन उपरोक्त किये गये विवेचना से, अभिलेख को देखते ही त्रुटि स्पष्ट नही है, इस प्रकार इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण भी किया है कि इस विवाद्यक पर विचार समुचित प्रक्रम पर किया जायेगा, इस लिए, पक्षकारो को इसके समुचित मूल्यांकन हेतु साक्ष्य पेश करने का निदेश दिया जाता है।

70. तद्नुसार, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है।

71. आदेश देने के पहले, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने इस संबंध में कोई निष्कर्ष नही दिया है कि क्या मूलवाद सं. 56 वर्ष 2017 प्राङ न्याय के सिद्धांतो द्वारा वर्जित है या नही है। फिर भी, विद्वान विचारण न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभिक विवाद्यक विरचित कर सकता है तथा इसका विनिश्चय विधि के अनुसार कर सकता है। पक्षकारगण मूल वाद सं. 56 वर्ष 2017 में विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष सभी बिन्दुओ को उठाने के लिए स्वतंत्र है।

72. पूर्वोक्त संप्रेक्षणो के साथ इस वर्तमान याचिका को निपटाया जाता है।

73. लंबित अन्तर्वर्ती आवेदन, यदि कोई है, को निपटाया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद,न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)